"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 76] रायपुर, बुधवार, दिनांक 15 मार्च 2017 — फाल्गुन 24, शक 1938

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-04/2017/वा. क. (पं.)/पांच (24). — रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं. 16) की धारा 78 के खण्ड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, "ई-रजिस्ट्रेशन" हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क के अतिरिक्त, रुपये 60/- (साठ रुपये) प्रति पृष्ठ अतिरिक्त शुल्क प्रभार्य करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2017

क्रमांक एफ 10-04/2017/वा. क. (पं.)/पांच (24). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-04/2017/वा. क. (पं.)/पांच (24), दिनांक 15-03-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 15th March 2017

NOTIFICATION

No. F 10-04/2017/CT(R)/V (24) .— In exercise of the powers conferred by clause (i) of Section 78 of the Registration Act, 1908 (16 of 1908), the State Government, hereby, levies additional fee of Rs. 60/- (Sixty Rupees) per page in addition to the registration fee on the documents presented for "e-Registration".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.